

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2020/3372 दिनांक-27-7-20


आर एण्ड आर मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल
23, बन्धे के बालाजी
चूरु रोड, झुन्झुनु (राजस्थान) 333001

विषय:- अस्पताल को अनुमोदित किये जाने के क्रम में।

प्रसंग:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 08.07.2020 एवं 16.07.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर एण्ड आर मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल, 23, बन्धे के बालाजी, चूरु रोड, झुन्झुनु (राजस्थान) 333001 को निम्न शर्तों पर निगम कर्मचारियों की चिकित्सा एवं जाँच के लिए अनुमोदित किया जाता है:-


1. उक्त आदेश की वैधता दिनांक 23.06.2025 तक के लिए होगी।
2. अस्पताल द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही निगम कर्मचारियों को भी जाँच एवं चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी।
3. निगम कर्मचारी द्वारा अपना परिवच पत्र प्रस्तुत किया जाना ही पराप्त होगा।


(पौना गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/47/2020/3372 दिनांक-27-7-20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक/समुक्त महा प्रबन्धक () रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
4. उप महाप्रबन्धक/कार्यकारी प्रबन्धक() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी के0का0.....।
8. मुख्य प्रबन्धक, रा.रा.प.प.निगम,।
9. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I() रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


(राज कुमार)
महाप्रबन्धक (वित्त)